न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 70/2021

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र रामदयाल
2. पूजा पुत्री रामदयाल
3. कमला पत्नी रामदयाल जाति भांबी निवासी ग्राम नान्दला, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 7.12.21

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के चौसाला खसरा नम्बर 2463 रकबा 14–18–10 वंर्किग खसरा नम्बर 2833 रकबा 14–18–10 में से 10–0–0 की आराजी वादीगण के पूर्वज हरजी पुत्र मादू भांबी के नाम नियमन की गयी। उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 54 से खातेदारी दर्ज की गयी। इस प्रकार वंर्किग जमाबंदी में 10–0–0 आराजी जमाबंदी में हरजी पुत्र मादू भांबी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। हरजी पुत्र मादू की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 2424 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35, 2529 रकबा 0.10, 2526 रकबा 0.35, 2532 रकबा 0.19 व 2533 रकबा 0.57 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर 2424 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35, 2529 रकबा 0.10 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 54 भू संशोधन जमाबंदी के आधार पर दर्ज किया गया है। चौसाला खसरा नम्बर का रकबा बडा था जिसके समस्त वंर्किग खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर की स्थिति वादी ने स्पष्ट नही की है। वादग्रस्त आराजी सिवाचक है अतः वाद सव्यय [illegible] किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्[illegible] [illegible] खातेदारी थी?

—— वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 2463 रकबा 14—18—10 वंर्किग खसरा नम्बर 2833 रकबा 14—18—10 में से 10—0—0 आराजी नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 02.02.1983 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी वादीगण के पूर्वज हरजी पुत्र मांदू के नाम स्वीकार हुयी। जिसकी पालना में वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 2833 मिन रकबा 10—0—0 हरजी पुत्र मांदू के नाम दर्ज की गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2050 से 2053 में भी उक्त खसरा नम्बर खाता संख्या 618 में दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 2833 का कुल रकबा 14—18—10 है जिसके हाल खसरा 2524 रकबा 1.16, 2525 रकबा 0.03, 2526 रकबा 0.35, 2529 रकबा 0.10, 2532 रकबा 0.19 व 2533 रकबा 0.57 बने है। उक्त सभी खसरा नम्बर हाल राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज के नाम पूर्व राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का 10—0—0 भूमि खातेदार दर्ज थी। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से तनकी बहक वादीगण निर्णत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :—

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार पूर्व राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी में से 10—0—0 आराजी वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज थी। वंर्किग खसरा नम्बर 2833 का कुल रकबा 14—18—10 है जिसके हाल खसरा 2524 रकबा 1.16, 2525 रकबा 0.03, 2526 रकबा 0.35, 2529 रकबा 0.10, 2532 रकबा 0.19 व 2533 रकबा 0.57 बने है। उक्त सभी खसरा नम्बर हाल राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। बंदोबस्त विभाग को बिना किसी आदेश पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। इसके उपरान्त भी हाल राजस्व अभिलेख में साबिक खसरा नम्बर का समस्त रकबा त्रुटिपूर्ण से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। राज0 पैरोकार ने भी यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा को किस कारण हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। किन्तु वादीगण के पूर्वज के नाम वंर्किग खसरा नम्बर 2463 रकबा 14—18—10 में से 10—00—00 भूमि खातेदारी दर्ज थी। वंर्किग खसरा नम्बर 2463 के हाल खसरा 2524 रकबा 1.16, 2525 रकबा 0.03, 2526 रकबा 0.35, 2529 रकबा 0.10, 2532 रकबा 0.19 व 2533 रकबा 0.57 बने है। उक्त सभी खसरा नम्बर हाल राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। वादीगण ने अपने वाद में हाल खसरा नम्बर 2524 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35 व 2529 रकबा 0.10 कुल 1.61 है0 आराजी का अनुतोष चाहा है। दौरोने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादीगण का कब्जा काश्त हाल खसरा नम्बर 2524 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35 व 2529 रकबा 0.10 कुल 1.61 है0 की आराजी पर है तथा यह तीनो खसरा नम्बर आपस में लगायत है। अतः वादीगण

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 2524 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35 व 2529 रकबा 0.10 कुल 1.61 है0 राजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी संख्य 2 बहक वादगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2524 रकबा 1.16, 2526 रकबा 0.35 व 2529 रकबा 0.10 कुल 1.61 है0 आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner